1/3

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्षः—श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 477—पीबीआर/2013 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 30—12—2012 के द्वारा न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला—विदिशा के प्रकरण क्रमांक 56/2011—12/निगरानी

.....

बाबूलाल पुत्र श्री भग्गा,
निवासी—ग्राम खामखेड़ा, तहसील व
जिला—विदिशा (म0प्र0)

..... आवेदक

विरूद्ध

जगन्ना सिंह पुत्र श्री भग्गा,
निवासी—ग्राम खामखेड़ा, तहसील व
जिला— विदिशा(म0प्र0)

.....अनावेदक

.....

श्री आर0डी0 शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक

.....

आदेश
(आज दिनांक 19-9-2016 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला—विदिशा के प्रकरण क्रमांक 56/2011—12/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30—11—2012 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त सार यह है कि आवेदक द्वारा ग्राम खामखेड़ा, तहसील व जिला—विदिशा की वादग्रस्त भूमि खसरा कमांक 142 के शासकीय अभिलेख में 142/1 व 142/2 के रूप में खसरा में उल्लेख है और इस बावत अधीनस्थ न्यायालय में खसरा क्रमांक 137 रकवा 1.097 हे0 खसरा क्रमांक 52 रकबा 0.010 है0 के विभाजन का आवेदन पत्र

तहसीलदार विदिशा के यहां धारा 178 भू–राजस्व संहिता का प्रस्तुत किया गया, जिसमें आवेदक ने यह जबावदेही दी थी कि विभाजन लगभग 15–20 वर्षो पूर्व से चला आ रहा है और बटवारे की फोटोकॉपी भी प्रस्तुत की और बटवारा अनुसार हिस्सा व कब्जे में आयी भूमि पृथक–पृथक काबिज है । ऐसी स्थिति में एक बार बटवारा हो जाने के बाद पुनः बटवारा नहीं किया जा सकता । तहसीलदार विदिशा द्वारा दिनांक 08.06.2011 को स्वत्व का प्रष्न मानते हुये एवं पूर्व में विभाजन हो जाने से बटवारा प्रकरण समाप्त कर दिया गया, जिसके विरूद्ध अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी विदिशा के यहां अपील प्रस्तुत की और यह अपील दिनांक 31.10.2011 को स्वीकार कर प्रकरण में धारा 178 म.प्र.भू–राजस्व संहिता के प्रावधानों के अनुसार प्रकरण में साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर देकर निराकरण किए जाने हेतु प्रत्यावर्तित कर दिया गया । इस आलोच्य आदेश से दुखित होकर आवेदक द्वारा निगरानी अपर कलेक्टर, विदिशा के समक्ष प्रस्तुत की गई । प्रकरण विधिवत पंजीबद्ध किया जाकर दिनांक 30.11.12 को प्रस्तुत निगरानी सारहीन मानकर निरस्त की गई । इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि अधीनस्थ न्यायालयों का विवादित आदेश विधि के विरूद्ध एवं प्रकरण में आई साक्ष्य के विपरीत है । उक्त वादग्रस्त भूमि का 15–20 वर्षों से अधिक समय पूर्व से बंटवारा हो चुका है तथा दोनों पक्षकार अपने–अपने भाग पर स्वत्वाधिकारी होकर कब्जाधारी है । इस संबंध में पूर्व का पंचनामा रिकार्ड में उपलब्ध है । न्यायालय तहसीलदार विदिशा द्वारा उभयपक्षों की सुनवाई करने का पर्याप्त अवसर दिया गया है। दोनों की पैत्रिक संपत्ति थी। स्वत्व के प्रष्न का निराकरण की कोई आवष्यकता ही नहीं है । बटवारें का पंचनामा पूर्व से रिकॉर्ड पर है । इस प्रकार से अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रकरण को प्रत्यावर्तित करने में त्रुटि की है । अतः ऐसा आदेश निरस्तीय योग्य । परिणामतः निगरानी स्वीकार किया जावे ।

4/ अनावेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है ।

5/ मेरे द्वारा आवेदक के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अवलोकन करने पर पाया गया कि वादग्रस्त भूमि राजस्व अभिलेख में आवेदक एवं अनावेदक के नाम संयुक्त खाते में दर्ज है । प्रकरण में हल्का

पटवारी द्वारा मौके अनुसार फर्द बटान भी प्रस्तुत की गई है । अपीलाधीन आदेश में पीठासीन अधिकारी द्वारा अंकित किया गया है कि अनावेदक द्वारा पारिवारिक बटवारे की छायाप्रति प्रस्तुत की गई तथा स्वत्व के निराकरण हेतु प्रकरण को तीन माह के लिये स्थगित किया गया, परन्तु किसी भी पक्ष द्वारा व्यवहार न्यायालय का न तो स्थंगन आदेश प्रस्तुत किया गया है, न ही स्वत्व बावत् कार्यवाही के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है । ऐसी स्थिति में आवेदक का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज होने से किंसी भी वरिष्ठ न्यायालय का स्थंगन/आदेश न होने पर स्वत्व का आदेश में उल्लेख किया जाना न्यायोचित नहीं है । प्रतीत होता है कि पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में अपने विवेक का उपयोग नहीं किया गया है । मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 178 में स्पष्टतः प्रावधानिक है कि खाते में यदि एक से अधिक भूमिस्वामी हो तो उनमें से कोई भी भूमिस्वामी उस खाते में के अपने अंश के विभाजन के लिये तहसीलदार को आवेदन कर सकेगा तथा तहसीलदार भू–धारियों को सुनवाई करने के पश्चात खाते को विभाजित कर सकेगा । जैसा कि विभाजन का आदेश देने के पूर्व तहसीलदार को नियमों में बताये गये सिद्धांतों पर मस्तिष्क का प्रयोग करना चाहिये । इस संबंध में रा.नि. 1980 पृ0 366 ओमप्रकाश विरूद्ध घंसू उल्लेखित है ।

6/ अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण एवं संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि स्वत्व संबंध वाद किसी भी न्यायालय में किसी भी पक्षकार द्वारा दायर करके सवत्व निराकरण हेतु प्रकरण प्रस्तुत नहीं किया और न ही किसी न्यायालय का स्थंगन आदेश इत्यादि किसी पक्षकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया । उक्त स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार विदिशा को राजस्व अभिलेखों में अंकित राजस्व प्रविष्टियों के आधार पर बटँवारे प्रकरण का निराकरण करना चाहिये जो उनके द्वारा नहीं किया गया ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचा हूँ कि अनुविभागीय अधिकारी, विदिशा द्वारा दिनांक 31.10.2011 को पारित आदेश में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है इसी कारणवश अपर कलेक्टर द्वारा उक्त आदेश को स्थिर रखने में कोई भूल नहीं की है । मेरे मतानुसार अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश उचित है । अतः अनुविभागीय अधिकारी, विदिशा द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.10.2011 एवं अपर कलेक्टर, विदिशा द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.11.2012 विधिसंगत होने से स्थिर रखा जाता है तथा आवेदक के

द्वारा प्रस्तुत निगरानी अस्त्विहीन होने से निरस्त की जाती है । प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर